एयरसेल मैक्सिस मामला : पी चिदंबरम व कार्ति को कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली, 7 अगस्त (ए)। एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामलें में चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी पर संरक्षण देने का अनुरोध किया था और कहा था कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वो पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं। इसके अलावा , उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है। इससे पहल पी चिदंबरम ने कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून 2018 को पी चिंदबरम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर के धवन का निधन

नई दिल्ली, 7 अगस्त (ए)। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र रहे आर. के. धवन का आज शाम एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि धवन ने शाम करीब सात बजे बी. एल. कपूर अस्पताल में अंतिम सांस ली। कांग्रेस नेता को बढ़ती उम्र संबंधी परेशानियों के कारण पिछले मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला ने ट्वीट किया है,'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर. के. धवन को हमारी श्रद्धांजलि। उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' राजिन्दर कुमार धवन राज्यसभा के सदस्य और लंबे समय तक इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे थे।

देवरिया कांड को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश- सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा सिर्फ प्रचार का विषय

लखनऊ,7 अगस्त (ए)। देवरिया शेल्टर होम केस को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जहां योगी सरकार से इस्तीफे की मांग की है, वही मामले पर अब तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के बाद अब अत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थगित मान्यता वाले नारी संरक्षण केंद्र से भी यौनाचार की खबर ने साबित कर दिया है कि सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा का विषय सिर्फ प्रचार का विषय है। सत्ताधारियों को बताना ही होगा कि जहां-जहां उनकी सरकारें हैं, वहां-वहां ऐसा क्यों हो रहा है। बता दें कि, देवरिया में शेल्टर होम से एक लड़की भागकर महिला थाने पहुंची और सारी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी कर 24 लड़कियों को वहां से मुक्त कराया। पुलिस ने शेल्टर होम की संचालिका, उसके पति और बेटी को गिरफ्तार कर शेल्टर होम को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति भी गठित की है।

फर्जी एनकाउंटर को लेकर पुलिस का वीडियो वायरल, डीजीपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

लखनऊ, 7 अगस्त (ए)। उत्तर प्रदेश में आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने सोशल मीडिया पर मुठभेड़ के संबंध में अनर्गल बातचीत का वीडियो वायरल होने के मामले में 1 पुलिस निरीक्षक तथा 2 उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अनर्गल वार्तालाप का वीडियो वायरल होने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना का संरा ने किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र, 7 अगस्त (ए)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज अमेरिका द्वारा तैयार किए गए उन उपायों को स्वीकृति दे दी जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर कोरिया पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण वहां पहुंचने वाली मानवीय सहायता बाधित न हो। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया की करीब आधी आबादी यानि एक करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। पिछले साल यहां खाद्य उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि प्रतिबंधों का असर मानवीय सहायता पर नहीं होना चाहिए लेकिन राहत संस्थानों का तर्क है कि सख्त व्यापार और बैंकिंग कदमों के चलते अधिकारी तंत्र संबंधी रुकावटें पैदा हो रही हैं और जरूरी आपूर्तियों का प्रवाह धीमा हो रहा है। कई हफ्तों तक चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को आज स्वीकार कर लिया गया।

बुशरा की बेटी मेहरु हयात पीटीआई में शामिल

इस्लामाबाद, 7 अगस्त (ए)। पाकिस्तान के नामित प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की बेटी मेहरु हयात सोमवार को पाकिस्तान तहरीक ए पार्टी में शामिल हो गई। जियो न्यूज के मुताबिक हयात ने अपने मित्र फराह खान के साथ पीटीआई का दामन थामा। वह बुशरा की पूर्व शादी से हैं। बुशरा ने इसी वर्ष फरवरी खान से निकाह किया था। उनकी यह दूसरी और खान की तीसरी शादी है। इस मौके पर बुशरा ने कहा कि उनकी बेटी महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता देंगी।

15 अगस्त पर अलर्ट : एयरपोर्ट पर रैंडम चैकिंग शुरू, कपड़े भी उतारे जा सकते हैं

नई दिल्ली, 7 अगस्त (ए)। यदि आप स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली से बाहर विमान से यात्रा के लिए जाने वाले हैं तो एयरपोर्ट पर विमान में ऑनबोर्ड होने के लिए अतिरिक्त समय लेकर पहुंचे। दिल्ली के आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर 15 अगस्त तक जारी हाई अलर्ट दौरान सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) ने सुरक्षा जांच को और सख्त कर दिया है। इस दौरान पहले की तरह जांच के साथ ही सी.आई.एस.एफ . के सुरक्षाकर्मी आपको रैंडम स्क्रीनिंग और चैकिंग के लिए चुन सकते हैं। इसमें चुने हुए व्यक्ति के जूते, बैल्ट और जैकेट उतरवा उसकी जांच होगी। इसे लेकर सी.आई.एस.एफ. के वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रियों से सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है।

आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर सी.आई. एस.एफ. की ओर से की जाने वाली रैंडम स्क्रीनिंग यात्री के प्रोफाइलिंग के आधार पर की जा रही है। सी.आई.एस.एफ. अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया पिछले हफ्ते से शुरू की गई है और 15 अगस्त तक चलेगी। इसमें उन्हें मिलने वाले नियमित अलर्ट के अनुसार सुरक्षा जांच प्रक्रिया में परिवर्तन कर उसी के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को सक्रिय कर संदिग्ध दिखने वाले का चुनाव कर उनकी जांच की जा रही है। इसमें यात्रियों पर उसके एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर बोर्डिंग पास लेने, टर्मिनल के अंदर गुजारे गए समय दौरान किए गए कार्य से लेकर सुरक्षा जांच के लिए पहुंचने तक नजर रखी जा रही है।

यात्री के पास से उड़ान के दौरान प्रतिबंधितकोई भी सामान प्राप्त होने पर उसे तत्काल हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। इसे देखते हुए सी.आई. एस.एफ. ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची एयरपोर्ट टर्मिनल पर आने से पहले ही जांच कर लें। इससे सुरक्षा जांच दौरान समय बचेगा। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका सुरक्षा कर्मी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

जांच में एंटी बम स्क्वायड की टीम भी शामिल : अधिकारी ने बताया कि इस जांच प्रक्रिया में एयरपोर्ट पर तैनात एंटी बम स्क्वायड की टीम को भी लगाया गया है। रैंडम स्क्रीनिंग दौरान यात्रियों के सामान की जांच भी हो रही है जिसे बम स्क्वायड की टीम कर रही है। इसके अलावा सी.आई.एस.एफ . की कई हथियारबंद टीमें एयरपोर्ट टर्मिनल पर सादी ड्रैस में भी तैनात की गई हैं जो हर यात्री पर नजर रख रही हैं और संदेह होने पर तत्काल उनसे पूछताछ के साथ ही जरूरत पडने़ पर जांच भी की जा रही है। एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाली कारों पर भी नजर रखी जा रही है।

राज्यसभा में अमित शाह के भाषण दौरान फिर हंगामा

बोलने से रोका

नई दिल्ली ,07 अगस्त (ए)। बीजेपी चीफ अमित शाह को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर से विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। शाह एमएसपी पर सदन में अपनी बात रख रहे थे तभी टीएमसी सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। टीएमसी सदस्य शोर मचाते हुए सभापति के आसन तक आ गए। लगातार शोर-शराबे के कारण सभापति को दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और फिर सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी चीफ को एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने बोलने से रोका था और सदन में काफी हंगामा किया था।

अपने भाषण के दौरान शाह ने किसानों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहे थे।

शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा, सरकार दलितों और किसानों के लिए काम कर रही है। कृषि क्षेत्र पर मानचित्र को बदलने का प्रयास किया है। सिर्फ योजनाओं देकर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। सरकार 2022 में किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास कर रही है।

विपक्ष पर तंज कसते हुए शाह ने कहा, कुछ टिप्पणियां आईं कि यह असंभव है। सबकी अपनी-अपनी सोच है। लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है वह आंकड़ों की दृष्टि से भी दिखाई दे रही है। हमने कृषि बजट में 75 फीसदी की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि 2009-14 तक कृषि के लिए बजट 1 लाख 21 हजार 82 करोड़ था वहीं, 2014-18 तक यह बजट बढ़कर 2 लाख 11 हजार 684 करोड़ रुपये पहुंच गया।

शाह ने एनआरसी पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस पर अवैध बांग्लादेशियों को लेकर नरमी दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा था, कांग्रेस के पीएम ने यह समझौता किया, लेकिन यह पार्टी इसे लागू नहीं कर सकी। हममें हिम्मत थी और इसलिए हमने इसपर अमल किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि वह क्यों अवैध घुसपैठियों को बचाना चाहती है? शाह के इस बयान के बाद राज्यसभा में शोर-शराबा होने लगा था और कार्यवाही कई बार स्थगित हुई थी। बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले महीने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी थी।

क्या है गडकरी के बयान के पीछे का सच जिस पर मचा हंगामा

नई दिल्ली,7 अगस्त (ए)। एक तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि योजनाओं से देश में रोज़गार बढ़ रहा है वहीं उसके अपने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कह कर हंगामा खड़ा कर दिया है की देश में नौकरियां ही नहीं है। यह बयान उन्होंने औरंगाबाद में मराठा समुदाय द्वारा किए जा रहे आरक्षण की मांग के सन्दर्भ में कहा। क्या गडकरी जो कह रहे हैं वो बिलकुल सच है। ऐसा बिलकुल भी नहीं है। इसी साल समय समय पर संसद में सरकार ने माना है कि लगभग 25 लाख पद केंद्र और राज्यों में खाली पड़े हैं। गडकरी के इस ब्यान से कांग्रेस को बैठे बिठाये मुद्दा मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गडकरी जी ने भी वही पूछा है हर भारतीय पूछ रहा है। लेकिन यह कहना कि मोदी सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे वो सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक कहीं भी यह नहीं कहा है कि वो इतनी संख्या में नौकरी देंगे। हमें ऐसा कोई भी बयान नहीं मिला है। 21 नवंबर 2013 में आगरा की शंखनाद रैली में उन्होंने कांग्रेस की केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था जो उन्होंने निभाया नहीं। यहां तक कि 2014 के भाजपा घोषणापत्र में भी कहीं ज़िक्र नहीं है कि सरकार सालाना इतनी नौकरियां देगी। टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी अदि सेक्टरों से नौकरियों की सम्भावना है। पूरे घोषणापत्र में कहीं भी भाजपा ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की है पर प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना होगा कि देश की 65त्न जनसंख्या बेरोज़गार बैठी है।

केएम जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली

नई दिल्ली, 7 अगस्त (ए)। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। न्यायमूर्ति केएम जोसफ के अलावा इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन ने भी शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य में 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में तब कांग्रेस की सरकार थी। कॉलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसफ का नाम वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मलहोत्रा के साथ उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिये भेजा था। हालांकि सरकार ने पुर्निवचार के लिये न्यायमूर्ति जोसफ का नाम वापस भेज दिया था जबकि इंदू मल्होत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। कॉलेजियम ने 16 मई को उच्चतम न्यायलय में पदोन्नति के लिये फिर से जोसफ के नाम पर जोर दिया और जुलाई में एक बार फिर उनके नाम की सिफारिश की गई जिसे सरकार ने मान लिया। कॉलेजियम के सदस्यों समेत न्यायमूर्ति एम बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी ने न्यायमूर्ति के एम जोसफ की वरिष्ठता के मुद्दे पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिये प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि न्यायाधीशों का मत था कि इस मामले पर साथ बैठकर विचार करने की जरूरत है।

सरकार के सर्वोच्च सूत्रों ने रेखांकित किया कि कार्यपालिका ने न्यायमूर्ति जोसफ का नाम न्यायमूर्ति बनर्जी और सरन से नीचे रखने के लिये ''पूरी तरह उच्च न्यायालय की वरिष्ठता सूची के जांचे परखे सिद्धांत का पालन किया''। यह भी कहा गया कि तीनों न्यायाधीशों में से कोई भी न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश नहीं बनेगा क्योंकि न्यायालय में दूसरे न्यायाधीश हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पहले पदोन्नत किया गया और वे बाद में सेवानिवृत्त होंगे।

अधिसूचना में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी का नाम पहले स्थान पर है। उनके बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति विनीत सरन का नाम है। यह सुविधाजनक है कि न्यायाधीशों की वरिष्ठता केंद्र द्वारा अधिसूचित नामों के क्रम के मुताबिक तय की जाए। राष्ट्रपति ने तीन अगस्त को तीनों न्यायाधीशों की नियुक्त के वारंट पर दस्तखत किये थे। न्यायमूर्ति जोसफ की पदोन्नति के साथ ही केंद्र और न्यायपालिका के बीच जारी गतिरोध का भी अंत हो गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट से अबू सलेम को झटका, निकाह के लिए नहीं मिली पैरोल

मुंबई, 7 अगस्त (ए)। 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार अबू सलेम को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निकाह के लिए पैरोल की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। अबू सलेम ने अपनी शादी के लिए 45 दिन की पैरोल की मांग की थी। हालांकि पिछली बार ये मांग खारिज होने के कारण पांच मई को प्रस्तावित उसकी शादी न हो सकी थी।

ठाणे की महिला से शादी करना चाहता है सलेम : बता दें कि नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा आजमगढ़ (उप्र) निवासी डॉन की पैरोल की अर्जी कोंकण के डिवीजनल कमिश्नर ने खारिज कर दी थी। सलेम ने ठाणे की मुंब्रा निवासी महिला से शादी करने के लिए पैरोल पर 45 दिन के लिए रिहा करने की अपील की थी।

पांच मई को होना था निकाह : 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामलों में दोषी करार दिए गए गैंगस्टर अबू सलेम का 27 साल की कौसर बहार से निकाह पांच मई को होना तय हुआ था। कौसर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में रहती हैं। निकाह के बाद रिसेप्शन पार्टी भी देना तय हुआ था।

मार्च में पैरोल का दिया था आवेदन : जानकारी के मुताबिक, सलेम ने पैरोल पर रिहाई के लिए मार्च में आवेदन किया था। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डिवीजनल कमिश्नर नेउसकी अर्जी खारिज कर दी थी। ठाणे पुलिस ने रिहाई के दौरान मुंब्रा में डॉन की जान पर खतरे की आशंका जताई थी।

तीसरी शादी करने की तैयारी : बता दें कि सलेम तीसरी बार शादी करने जा रहा था। पांच मई को उसकी शादी उसी महिला से होनी थी, जिसने 2015 में टाडा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह डॉन से शादी करना चाहती है। इस महिला ने यह भी दावा किया था कि 2014 में उप्र जाने के दौरान उसने सलेम से ट्रेन में ही शादी कर ली थी। ध्यान रहे कि मुंबई धमाकों के बाद अबू सलेम फरार हो गया था। 2005 में उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। पिछले वर्ष सितंबर में विशेष टाडा कोर्ट ने सलेम व चार अन्य को 1993 मुंबई धमाकों का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

अवैध निर्माण की सीलिंग में बाधा पहुंचाई तो होगी सीधे जेल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 7 अगस्त (ए)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अनधिकृत और अवैध निर्माण की सीलिंग करने के दौरान सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा किए जाने पर सीधे जेल जाना पड़ेगा। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की और सीलिंग के मामले में अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।

खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाने के साथ ही सीलिंग के मामले में अधिकारियों को धमकाने के आरोप पर नजफगढ़ जोन की वार्ड समिति के अध्यक्ष मुकेश सूर्या की बिना शर्त माफी को मंजूर कर लिया। फोरम आफ एमसीडी इंजीनियर्स ने अध्यक्ष सूर्या पर आरोप लगाया था कि न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी की देखरेख में वह जब अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई करने गए थे तो उन्हें धमकाया गया था। सूर्या के वकील ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया है और यह भरोसा दिलाया कि भविष्य में फिर ऐसा नहीं करेंगे।

कैलिफोर्निया की आग के लिए ट्रंप ने पर्यावरणीय कानूनों को ठहराया दोषी

वाशिंगटन, 7 अगस्त (ए)। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के जंगलों की बढ़ती आग के लिए खराब पर्यावरणीय कानून को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया राज्य जल रहा है क्योंकि मौजूदा कानून के कारण उपलब्ध पानी का उचित उपयोग नही हो पा रहा है। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि कैलिफोर्निया के जंगलों की आग दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन खराब पर्यावरणीय कानूनों के कारण हालात बदतर हो रहे हैं। मौजूदा कानूनों के अनुसार उपलब्ध पानी का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। इस पानी को प्रशांत महासागर की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। आग को रोकने के लिए जंगलों में पेड़ों को भी काट देना चाहिए। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर जैरी ब्राउन को उत्तर से पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए, न कि उसे प्रशांत महासागर की तरफ डायवर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पानी का आग, खेती और अन्य सभी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया भीषण आग की चपेट में है। यह आग तेजी से फैल रही है। अब तक इसमें कम से कम 34 मौतें हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां पर राहत बचाव के कार्य व्यापक रूप से चलाए जा रहे हैं। कई लोग लापता भी बताये जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्रॉन ने नापा, सोनोमा और यूबा में आपातकाल की घोषणा की है। इस बीच अग्नि शामक दल गर्म, शुष्क और हवादार परिस्थितियों में जल रहे 17 प्रमुख जंगलों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आग से सबसे ज्यादा शास्ता काउंटी का रेडिंग शहर प्रभावित हुआ हैं। शहर के आसपास रहने वाले 38 हजार लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। आग से 650 घर नष्ट हो गए।

कनाडा के साथ तकरार के बीच सऊदी अरब ने टोरॉन्टो की उड़ानें रद्द की

रियाद, 7 अगस्त (ए)। सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन ने टोरॉन्टो के लिए सीधी उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह कदम कनाडा द्वारा नागरिक और महिला अधिकारों के कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करने के बाद उठाया गया है। इससे पहले सोमवार को सऊदी ने ने हस्तक्षेप करने को लेकर व्यापार पर रोक लगा दी और कनाडा के राजूदत को भी निष्कासित कर दिया। शांतिदूत केवल मोदी को कोसना जानते हैं, एक बब्दुल्ला मालिक हर न्यूज़ पर अपने कुतर्क पेल देता है । कनाडा ने इस पर जवाब में कहा कि वह मानव अधिकारों का समर्थन करना जारी रखेगा। कनाडा की विदेश मामलों की मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि वह राजदूत को निष्कासित किए जाने से बेहद चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने कहा, 'कनाडा हमेशा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होगा, जिसमें दुनियाभर की महिलाओं का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी भी शामिल है।'एयरलाइन कंपनी सऊदिया ने बाद में ट्विटर पर यह घोषणा की कि वह 13 अगस्त से फ्लाइट्स रद्द कर रही है। वहीं, इससे पहले उनके सऊदी अरब के समकक्ष अदेल अल-जुबेर मे ट्वीट किया था कि कनाडा का यह रुख गलत सूचनाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारियां सऊदी कानूनों के अधीन है।